न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 67/18

बाबू पुत्र सल्या जाति गददी निवासी दोनायचा तहसील मलारना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर

अपीलांटान

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार मलारना डूंगर तहसील मलारना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

रेस्पोटेडान

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय अति0जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर मु0न0 389/17 निर्णय दिनांक 21.2.17 एवं नायब तहसीलदार मलारना डूंगर मु0न0 462/16 निर्णय दिनांक 30.1.17)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की और से श्री कमलेश गुर्जर
2. रेस्पोटेटान की और से पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 17.10.2019

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के मु0न0 389/17 निर्णय दिनांक 21.2.17 एवं न्यायालय नायब तहसीलदार मलारना डूंगर के प्रकरण संख्या 462/16 दिनांक 30.1.17 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय अति0जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर मे अपीलांट द्वारा नायब तहसीलदार मलारना डूंगर के निर्णय दिनांक 30.1.17 के विरूद्व प्रथम अपील इस आशय की पेश की थी कि अपीलार्थी को ग्राम दौनायचा के आराजी ख0न0 1245 व 1246 कुल रकबा 0.25 है0 चारागाह भूमि पर अनाधिकृत रूप फसल सरसो की काश्त करने का कर्ता मानकर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलार्थी के विरूद्व शास्ति आरोपित कर मौके से बेंदखल करने के अतिरिक्त 30 दिवस मे सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने से व्यथित होकर अपींलाट द्वारा प्रथम अपील अति0 जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के यहाँ पेश की गई थी। अति0 जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपीलांट की अपील खारिज की जाकर नायब तहसीलदार मलारना डूंगर के निर्णय का यथावत रखने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

Scanned by CamScanner

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील मे बताया कि निर्णय दोनो अधिनस्थ न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सूचना एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही कर अहम कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने स्वतंत्र साक्ष्य लिये बिना निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी को ग्राम दोनायचा की आराजी ख0न0 1245,1246 रकबा 0.25 है0 चारागाह भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए निर्णय पारित किया है जबकि इस संबंध मे पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध ही नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित किया है। जो की पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट है। अपीलार्थी को पटवारी हल्का से जिरह का कोई अवसर प्रदान नही किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने संबंधी कोई रिकार्ड नही होने पर भी अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर जो निर्णय पारित किया है। वह निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालयो द्वारा पारित निर्णय प्राकृतिक सिद्वान्तो के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर दोनो अधिनस्थ न्यायालयो के निर्णयो को अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता पैरोकार सरकार ने बहस अपील मे बताया कि अपीलांट का यह कथन मिथ्या है कि उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। क्योकि अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। जिसकी तामिल अपीलार्थी द्वारा स्वयं प्राप्त की जाकर की गई है। अपीलार्थी सरकारी भूमि पर अतिचार करने का आदि होने के कारण ही उसे पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना जाकर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण की गई भूमि की किस्म चारागाह भूमि है। जो बेजुवान जानवरो के चरने के काम आती है। यदि इस प्रकार के अतिक्रमियो की सजा माफ की जाती है तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा तथा बेजुवान जानवरो के साथ अन्याय होगा। अतः अधिनस्थ न्यायालयो द्वारा पारित किये गये निर्णयो मे किसी प्रकार की अनियमतिता नही है। निर्णय विधि अनुरूप किये गये है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

उभय पक्षो की बहस अपील एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम दोनायचा की आराजी ख0न0 1245,1246 रकबा 0.25 है0 चारागाह भूमि पर संवत 2073 मे सरसो की फसल काश्त की जाकर अतिचार किया जाने के फलस्वरूप ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांर्थी को भूमि ख0न0 1245,1246 रकबा 0.25 है0 से बेदखल,शास्ति एवं एक माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलांट का यह कथन मिथ्या है कि उसे सुनवाई का अवसर

Scanned by CamScanner

नही दिया गया है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधिवत रूप से नोटिस जारी किया गया है। जिसकी तामिल स्वयं उनके द्वारा प्राप्त की गई है। उसके बाबजूद भी वह मातहत न्यायालय नायब तहसीलदार मलारना डूँगर मे उपस्थित नही हुआ है। अपीलांट द्वारा अतिकमित भूमि से कब्जा छोडने का शपथ पत्र पेश करने के कारण अपीलांट के प्रति नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील निम्न शर्तो के अध्याधीन आंशिक स्वीकार करना उचित समझता हूँ।

1. ग्राम दोनायचा की आराजी ख0न0 1245,1246 रकबा 0.25 है0 चारागाह पर अतिक्रमण हटाने की स्वयं अपीलार्थी नायब तहसीलदार मलारना डूँगर से भौतिक सत्यापन करवायेगा एवं अपीलार्थी के विरूद्व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत समस्त शास्ति का भुगतान किया जावेगा।
2. अपीलार्थी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जावेगा कि उसने अतिक्रमण हटा लिया है एवं भविष्य मे कभी भी इस भूमि पर अतिक्रमण नही करेगा।

उपर्युक्त शर्ते अपीलार्थी द्वारा नायब तहसीलदार मलारना डूँगर के संतोष के आधार पर इस निर्णय के 15 दिवस मे पूर्ण कर दी जाती है तो अपीलार्थी के विरूद्व पारित किया गया सिविल कारावास की सजा का निर्णय अपास्त समझा जावेगा । यदि अपीलार्थी द्वारा इन शर्तो की पालना निर्धारित अवधि मे नही की जाती है तो नायब तहसीलदार मलारना डूँगर एवं अपीलीय न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय यथावत रहेगे एवं इन निर्णय आदेशो को प्रभावी माना जाकर अपीलार्थी के विरूद्व कार्यवाही की जा सकेगी।

उपर्युक्त प्रेक्षणों (Observations)के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

17.10.19

(बी0एल0 रमन)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2019.11.18 11:45:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: